अनुसूची 21– प्रपत्र संख्या – 1131

संपत्ति अबभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण–पत्र . सं0 89. 19।

आवेदन सं0 20/07/19 19

चूंकि श्री मो0 अ0वास, पिता- शेख फकीर अलमार ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध के निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय,

सा0 - नीरपुर, लखीसराय (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों से ता0 01/01/2006 19 से ता0 20/07/19 19 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :–

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दास्तावेज की प्रविष्टि के प्रति विदेन		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं0	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	प्रमाणित किया जाता है कि जिला उपर निबंधक कार्यालय लखीसराय के पीड़ागत मौजा- चौड़ी, थाना- 141, खाता- 120, खेसरा- 288, तौजी नं0 3688, के किसी भी सन्यवार एवं अवभार का पता नहीं चला।							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक–पत्र की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में ..... हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अबभारों को छोड़, उक्त सम्पति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य सव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की ओर प्रमाण–पत्र तयार किया :–

(हस्ताक्षर) :– [illegible]

(पदनाम) :– L.Dc

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) :– [illegible]

(पदनाम) :– C.D.C.

कार्यालय लखीसराय

तारीख – 22/07/19. मुहर।

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
जिला अवर निबंधक
लखीसराय

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

(ग) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिदिष्ट संपत्तियों के अबभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की हैं, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढुंढे गये संव्यवहारों और अबभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढुंढे गये एसे संव्यवहारों और अबभारो को छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो।

जिला अवर निबंधक कार्यालय, लखीसराय

आपेक्ष पत्र दिनांक 22/07/19.

प्रतिलिपि :– शाखा प्रबंधक बंधन बैंक, लखीसराय, को पत्रांक सं०-01 दिनांक- 19/07/19. के आलोक में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

जिला अवर निबंधक
लखीसराय

S.N. 21

...edule XXI-Form No. 87.
(H)

RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR SEARCH & COPY

Serial number of application 89.

Date of application 20/07/19.

Name of applicant श्री-मु प्र० सिन्दा वास्ते मो० अ०वास

Fees Paid 300/-

Stamp Paper for

Date of deposit

Registering Officer

जिला अवर निबंधक
लखीसराय